



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102021-230801
CG-DL-E-28102021-230801

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4133]
No. 4133]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 28, 2021/कार्तिक 6, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 28, 2021/KARTIKA 6, 1943

भारी उद्योग मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2021

विषय : 11 नवंबर, 2020 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के कार्यान्वयन की समय सीमा को बढ़ाने के संबंध में।

का.आ. 4492(अ).—का.आ. संख्या 4044 (अ), दिनांक 11 नवंबर, 2020 के माध्यम से जारी विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसरण में आदेश के लागू होने की तारीख "भारत के आधिकारिक राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष" यानी 11 नवंबर 2021 के रूप में अधिसूचित की गई थी। आदेश के प्रवर्तन की अवधि को एतद्वारा एक वर्ष के लिए अर्थात् 11 नवंबर 2022 तक बढ़ाया जाता है।

[फा.सं. 8(1)/2018-एचईआई-भाग(I)]

जीतेंद्र सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES**ORDER**

New Delhi, the 18th October, 2021

Subject: Extension in timelines for the implementation of the Electrical Equipment (Quality Control) Order, 2020 published in Gazette of India on 11th November, 2020

S.O. 4492(E).— In pursuance to the gazette notification of the Electrical Equipment (Quality Control) Order, 2020 vide S.O. No. 4044(E) dated 11th November, 2020, wherein the date of coming into force of the Order was notified as “one year from the date of publication of this order in the Official Gazette of India” i.e. 11th November 2021, the date of enforcement of the Order is hereby extended for one year i.e. 11th November 2022.

[F. No. 8(1)/2018-HEI-Part(1)]

JEETENDRA SINGH, Jt. Secy.